

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 2017

विषय :- सम्मल में मेरठ-बदायूँ मार्ग (एस.एच.-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु 23.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2233 वृक्षों एवं 44 पौधों के पातन की अनुमति।

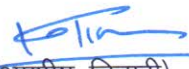
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-08बी/यू.पी. /06/52/2017/एफसी/691 दिनांक 14.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1664/सम्मल/23576/2017, दिनांक 20.12.2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए शासन को पृष्ठांकित की गयी है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित सूचनाएं संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

✓ विशेष सचिव।

संख्या- 3114(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु-सचिव।